

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

जिला पंचायत परिसर के पीछे रायगढ़

फैक्स नं./फोन.नं. :- 07762-222718

ई मेल :- deo123.raigarh@gmail.com

--: नियुक्ति आदेश ::--

क्रमांक / 2844 / SAGES / संविदा भर्ती / 2022

रायगढ़ दिनांक 18 मई 2022

छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटलनगर नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/35 अटलनगर नवा रायपुर दिनांक 03.07.2020 एवं पत्र क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3 नवा रायपुर दिनांक 30/09/2020 के अनुसार स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सोसायटी जिला रायगढ़ (छ.ग.) के अनुमोदन पश्चात स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ में निम्न कर्मचारी को संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

स.क्र.	अभ्यर्थियों के नाम	पिता/पति का नाम	पता/मो.न.	पदनाम एवं विषय	वेतन प्रतिमाह(एकमुश्त)
1	2	3	4	5	6
1	श्री ब्रम्हानंद गिरी गोस्वामी	श्री पालुराम गिरी गोस्वामी	गिरी पारा वार्ड नं. 01, बिरनीपाली, जिला रायगढ़ पिन- 496551 मो.नं. 8821056010, 7999592401	व्याख्याता भौतिकी	38100/-
2	शिवांगी सिंह	श्री अनिल सिंह	हाउस नं. 2869, गंगा विहार, अम्लीडीह रायपुर, पिन- 492001, मो.नं. 9977472637, 7389400302	सहायक शिक्षक कला	25300/-

नियुक्ति की शर्तें

1. यह नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा भर्ती (संविदा भर्ती) नियम 2012 के अधीन होगी।
2. नियुक्त उम्मीदवारों को इस कार्यालय में दस्तावेज परीक्षण उपरांत दिनांक 25.05.2022 तक पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह के पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
4. यह नियुक्ति शिक्षा सत्रांत 2024-25 (30 अप्रैल 2025) तक के लिये मान्य होगी। सेवा संतोषप्रद पाए जाने पर आगामी सत्र हेतु सेवा वृद्धि किए जाने हेतु विचार किया जाएगा।
5. उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज गलत पाए जाने पर किसी भी समय बिना सूचना के नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकता है।
6. उम्मीदवार द्वारा उनके समस्त दस्तावेजों की एक प्रति संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। संस्था के प्राचार्य द्वारा मूल दस्तावेजों से परीक्षण पश्चात ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
7. संविदा अवधि में छ.ग. सिविल सेवा भर्ती (संविदा भर्ती) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
9. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
10. संविदा नियुक्त अभ्यर्थियों को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा राशि का कम से कम 12 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी/आहरण अधिकारी को देनी होगी।
11. संविदा नियुक्त अभ्यर्थियों को एकमुश्त मानदेय देय होंगे, अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।
12. भविष्य में शासन द्वारा उक्त पद पर भर्ती की जाती है तो यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
13. मानदेय का निर्धारण एवं सेवा संबंधी अन्य शर्तें राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत की जाएगी।
14. उम्मीदवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन) प्रमाण पत्र में यदि अपराधिक गतिविधियां पायी जाती है तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

(स्वा.आ.उ.अं.मा.वि. समिति जिला रायगढ़ द्वारा अनुमोदित)


(आर.पी.आदित्य) 18/5

जिला शिक्षा अधिकारी

रायगढ़ एवं सदस्य सचिव

स्वा.आ.शा.अं.मा.वि.समिति सारंगढ़

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन खण्ड-03 प्रथम तल, अटलनगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकरनगर रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर जिला रायगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
8. सर्व सदस्य, स्वा.आ.शा.अं.मा.वि. समिति जिला रायगढ़ को सूचनार्थ।
9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।
10. प्राचार्य, स्वा.आ.शा.अं.मा.वि. सारंगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी 18/5
रायगढ़ एवं सदस्य सचिव
स्वा.आ.शा.अं.मा.वि.समिति सारंगढ़